बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2010

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में राज्यपाल, बिहार सरकार, निम्नवत् बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 बनाते हैं :

भाग–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ

1. i यह नियमावली " बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2010 " कहलायेगी।

ii यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

iii इसका प्रसार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

परिभाषाएँ

2. i इस नियमावली में जबतक कोई विषय या संदर्भ अन्यथा नहीं हो,

(क) ''अधिनियम'' का अर्थ है बच्चों का ''मुफ्त एवं अनवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009''।

(ख) ''आँगनबाड़ी'' का अर्थ है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधीन संचालित समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र।

(ग) ''निर्धारित तिथि'' का अर्थ है 1 अप्रील, 2010, जिस तिथि से अधिनियम प्रभावी माना गया है।

(घ) ''अध्याय''''धारा'' एवं ''अनुसूची'' का क्रमशः अर्थ है अधिनियम का अध्याय, धारा एवं अनुसूची।

(च) ''बच्चा'' का अर्थ है 6–14 आयुवर्ग का कोई बच्चा।

(छ) ''छात्र संचयी अभिलेख'' का अर्थ है बच्चा के व्यापक तथा सतत मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया प्रगति–संबंधी अभिलेख।

(ज) ''विद्यालय–मानचित्रण'' का अर्थ है सामाजिक अवरोध एवं भौगोलिक दूरी को ध्यान में रखकर तैयार की गई विद्यालय की स्थापना–संबंधी योजना।

(झ) ''शैक्षिक प्राधिकार '' का अर्थ है मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार के अधीन स्थापित राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्।

(ट) ''प्राथमिक विद्यालय'' का अर्थ है वर्ग I से वर्ग V तक का विद्यालय।

(ठ) **"प्रारंभिक विद्यालय"** का अर्थ है वर्ग I से वर्ग VIII तक का विद्यालय।

(ड) पड़ोस का अर्थ है. किसी विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित बसाव क्षेत्र जहाँ का बच्चा इस नियमावली के अधीन संबंधित विद्यालय में नामांकन के लिए हकदार है।

(ढ) ''प्रस्वीकृति हेतु जिला में गठित समिति'' का अर्थ है नियमावली के नियम 11 के अधीन गठित समिति।

ii इस नियमावली में सभी "संदर्भित प्रपत्रों" का तात्पर्य अनुलग्नक के रूप में संलग्न प्रपत्रों से है।

iii इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द एवं उद्धरण जो परिभाषित नहीं हैं और जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वे क्रमशः अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं उद्धरणों का अर्थ रखेंगे।

भाग–II

बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

अधिनियम की धारा 4 के प्रथम परंतुक के प्रयोजनार्थ विशेष प्रशिक्षण

3. (1) विद्यालय शिक्षा समिति/स्थानीय प्राधिकार, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकतावाले बच्चों को चिह्नित करेगा तथा उनके लिए ऐसा प्रशिक्षण निम्नांकित तरीके से आयोजित करेगा :

(क) विशेष प्रशिक्षण शैक्षिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गयी उम्र–सापेक्ष अधिगम सामग्री पर आधारित होगा।

(ख) यह प्रशिक्षण विद्यालय के परिसर में अथवा सुरक्षित आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा।

(ग) यह प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) इस प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 3 महीने की होगी, जिसे छात्रों की अधिगम प्रगति के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों तक विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) विशेष प्रशिक्षण तथा उम्र–सापेक्ष कक्षा में नामांकन के बाद संबंधित विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा इस कोटि के बच्चों पर तब तक विशेष ध्यान दिया जाएगा जब तक कि वे कक्षा के अन्य बच्चों के साथ शैक्षिक एवं भावनात्मक रूप से सफलतापूर्वक जुड़ न जाएँ।

भाग–III

राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य

अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजनार्थ क्षेत्र अथवा सीमा का निर्धारण

4. (1) राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किये जानेवाले विद्यालयों के लिए पड़ोस का क्षेत्र एवं सीमा निम्नवत् होगी :

(क) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वैसे सभी बसाव–क्षेत्र, जहाँ 6–14 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या कम–से–कम 40 हो, के 1 कि॰मी॰ की सीमा के अंतर्गत की जाएगी।

(ख) प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना किसी बसाव–क्षेत्र के 3 कि॰मी॰ की सीमा के अंतर्गत की जाएगी।

(2) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार प्राथमिक विद्यालयों को प्रारंभिक विद्यालयों में उत्क्रमित कर सकेगी।

(3) कठिन धरातलीय प्रकृति वाले क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित सड़कविहीन क्षेत्र, भूस्खलन/कटाव से प्रभावित क्षेत्र और वैसे क्षेत्र जिसमें छात्रों को विद्यालय पहुँचने का खतरा हो, हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार विद्यालयों की स्थापना इन कठिनाइयों एवं इस प्रकार की खतरों को दूर करते हुए करेगी तथा इसके लिए नियम 4 के उपनियम (1) में निर्धारित सीमा इस हद तक शिथिल की जा सकेगी ।

(4) अत्यंत छोटे बसाव–क्षेत्र जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के द्वारा चिह्नित किये गये हों तथा जिसके क्षेत्र एवं सीमा के पास–पड़ोस में उपनियम (1) के अधीन कोई विद्यालय नहीं हो वहाँ के बच्चों के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा मुफ्त यातायात, आवासीय सुविधा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय किया जाएँगे, जिससे छात्रों को सहज रूप से प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध हो सके।

(5) उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार 6–14 आयुवर्ग वाले बच्चों की जनसंख्या के आधार पर एक से अधिक पड़ोसी विद्यालयों की स्थापना करने पर विचार कर सकेगी।

(6) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी बसाव–क्षेत्रों के लिए पड़ोसी विद्यालयों, जहाँ कि बच्चे सुगमतापूर्वक नामांकित हो सकेंगे, को चिह्नित करेगा तथा इस आशय की सूचना उस बसाव–क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत रहनेवाले जनसाधारण को उपलब्ध करायेगा।

(7) निःशक्त बच्चों के मामलों में जहाँ निशःक्तता, उन्हें विद्यालय पहुँचने में व्यवधान उत्पन्न करती है, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार उनके लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित यातायात का प्रबंध कर सकेगी ताकि वे विद्यालय पहुँच सकें एवं अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकें।

(8) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में बच्चों की पहुँच सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से बाधित न हो।

अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार का दायित्व

5. (1) निम्नांकित कोटि के विद्यालयों में पढ़नेवाला प्रत्येक बच्चा मुफ्त पाठ्यपुस्तक, लेखन–सामग्री एवं पोशाक पाने का हकदार होगा :

(i) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उप–कंडिका (i) के अंतर्गत आनेवाले विद्यालय।

(ii) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (b) के अंतर्गत आनेवाले विद्यालय।

(iii) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अनुपालन में धारा 2. की कंडिका (n) की उप–कंडिका (iii) एवं (iv) के अंतर्गत आनेवाले विद्यालय।

परन्तु यह कि निःशक्त बच्चों को विशेष अधिगम एवं सहायक सामग्री भी उपलब्ध करायी जाएगी।

व्याख्या : अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) एवं धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (b) के अनुपालन में नामांकित बच्चों को मुफ्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्रमशः अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उप–कंडिका (iii) और (iv) एवं धारा 2 की कंडिका (n) की उप–कंडिका (ii) के अंतर्गत आनेवाले विद्यालयों की होगी।

(2) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार पड़ोसी विद्यालयों के निर्धारण एवं स्थापना के लिए विद्यालय मानचित्रण करेगी और सभी बच्चों, जिसमें सुदूर क्षेत्र के बच्चे, निःशक्त बच्चे, वंचित समूह के बच्चे, कमजोर वर्ग के बच्चे तथा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आनेवाले बच्चे सम्मिलित होंगे, की पहचान निर्धारित तिथि के 1 वर्ष के अंदर करेगी और उसके बाद प्रतिवर्ष इसे अद्यतन करेगी।

(3) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी बच्चे के साथ जाति/वर्ग/धर्म या लिंग के आधार पर विद्यालय में भेदभाव न हो।

(4) अधिनियम की धारा 8 की कंडिका (c) और धारा 9 की कंडिका (c) की उद्देश्य–पूर्ति के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर वर्ग का बच्चा और वंचित समूह का बच्चा, मध्याह्न भोजन के दौरान, खेल के मैदान में, पानी पीने के समय, शौचालय सुविधाओं का उपयोग और वर्ग–कक्ष या शौचालय साफ–सफाई के दौरान किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार न हो।

अधिनियम की धारा 9 की कंडिका (d) के प्रयोजनार्थ स्थानीय प्राधिकार द्वारा बच्चों के अभिलेखों का संधारण

6. (1) स्थानीय प्राधिकार अपने क्षेत्रान्तर्गत गृहवार सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बच्चों को उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु होने तक का अभिलेख संधारित करेगा।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेखों का प्रत्येक वर्ष अद्यतनीकरण किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख का इस तरह पारदर्शी रूप से संधारण किया जाएगा जिससे कि जनसाधारण इसका अवलोकन कर सके एवं अधिनियम की धारा 9 की कंडिका (c) के प्रावधानों के अनुरूप इसे उपयोग में लाया जा सके।

(4) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख में बच्चों के संबंध में निम्न सूचनाओं को सम्मिलित किया जाएगा :

(क) नाम, लिंग, जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र संख्या सहित), जन्म स्थान।

(ख) माता–पिता/अभिभावक का नाम, पता एवं व्यवसाय।

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आँगनबाड़ी केन्द्र, जहाँ बच्चे 6 वर्ष की आयु तक सम्मिलित हुए हों।

(घ) प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालय, जहाँ बच्चा नामांकित हुआ हो।

(च) बच्चे का वर्तमान पता।

(छ) वर्ग, जिसमें बच्चा पढ़ रहा हो (6–14 आयु के बच्चों हेतु) एवं अगर संबंधित स्थानीय प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत बच्चे की शिक्षा बाधित हुई हो, तो इस बाधा का कारण।

(ज) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (e) में निहित अर्थ के अनुसार क्या बच्चा कमजोर समूह का है!

(झ) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (d) में निहित अर्थ के अनुसार क्या बच्चा वंचित समूह का है!

(ट) विस्थापन एवं विरल जनसंख्या, उम्र सापेक्ष नामांकन, निःशक्तता के कारण आवश्यक विशेष सुविधा/आवासीय सुविधाओं की जरूरत वाले बच्चों का विवरण।

(5) स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों का नाम विद्यालय में आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध रहे।

भाग– IV

विद्यालयों एवं शिक्षकों का दायित्व

धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के प्रयोजनार्थ कमजोर वर्ग एवं वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन

7. (1) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका **(n)** की उपकंडिका (iii) एवं (iv) में संदर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बच्चे जो धारा **12 की उपधारा (1)** की कंडिका **(c)** के अन्तर्गत उनके विद्यालय में नामांकित हुए हैं, उन्हें अन्य बच्चों से कक्षाओं में भेद–भाव या अलग–थलग नहीं किया जाए, न ही उनकी कक्षाऐं किसी अन्य स्थान या अन्य समय जो विद्यालय के अन्य बच्चों से अलग हो, आयोजित की जाएँ।

(2) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका **(n)** की उपकंडिका (iii) एवं (iv) के अन्तर्गत संदर्भित विद्यालय, उन बच्चों के साथ जो अधिनियम की धारा **12 की उपधारा (1)** की कंडिका **(c)** के अनुपालन में विद्यालय में नामांकित हुए हों, उनसे खेल, सहगामी पाठ्यचर्या, सूचना एवं संचार तकनीकी के शिक्षण की सुविधा, पुस्तकालय, पोशाक, पाठ्यपुस्तक आदि सुविधाएँ जो उन्हें प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) की कंडिका (c) के अनुपालन में नामांकित होने वाले बच्चों के लिए पड़ोस का क्षेत्र एवं सीमा, नियम 4 के उपनियम (1) के अनुरूप प्रयोग में लायी जाएगी।

परन्तु यह कि धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अन्तर्गत आनेवाले बच्चों के लिए आवश्यक प्रतिशत को भरने के लिए विद्यालय, पड़ोस की सीमाओं को राज्य सरकार के पूर्व

अनुमोदन के पश्चात् बढ़ा सकता है।

अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चा व्यय की प्रतिपूर्ति

8. (1) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अधीगृहित, नियंत्रित अथवा स्थानीय प्राधिकारों द्वारा नियंत्रित विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों पर किए जा रहे कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, चाहे वह राज्य सरकार अपनी निधि से या केन्द्र सरकार की निधि से या किसी अन्य प्राधिकार की निधि से व्यय करती है, उस राशि को सभी बच्चे, जो उन विद्यालयों में नामांकित होंगे, उनसे भाग करने पर जो राशि प्राप्त होगी, उसे राज्य सरकार के द्वारा प्रति बच्चा व्यय माना जाएगा, जिसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा।

व्याख्या : (1) प्रति बच्चा व्यय की गणना के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (ii) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों एवं इन विद्यालयों में नामांकित छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक विद्यालय अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के तहत प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त होनेवाली राशि के लिए अलग बैंक खाता एवं अभिलेख संधारित करेगा।

अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उम्र–प्रमाण के लिए दस्तावेज

9. जन्म, मृत्यु एवं विवाह निबंधन अधिनियम 1886 के अन्तर्गत जहाँ जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो ; वैसी परिस्थिति में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए निम्न दस्तावेज उम्र के प्रमाण के लिए प्रयुक्त होंगे अथवा निम्न में से कोई एक को जन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा :

(क) अस्पताल/ऑक्जीलियरी नर्स या मिड वाईफ पंजी अभिलेख;

(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख; एवं

(ग) बच्चे के अभिभावक या माता–पिता द्वारा उसकी उम्र हेतु दिया गया घोषणा–पत्र।

अधिनियम की धारा 15 के प्रयोजनार्थ नामांकन के लिए विस्तारित अवधि

10. (1) नामांकन की विस्तारित अवधि विद्यालयों के शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के छः माह तक होगी।

(2) विस्तारित अवधि के पश्चात् कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित होता है तो वह विशेष प्रशिक्षण के द्वारा अपने अध्ययन को पूर्ण करने का पात्र होगा जैसाकि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजनार्थ विद्यालयों की प्रस्वीकृति

11. (1) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के द्वारा स्थापित, धारित या नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर, प्रत्येक विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु प्रत्येक जिला में एक तीन सदस्यीय समिति निम्नवत् गठित की जाएगी :

(i) जिला शिक्षा पदाधिकारी – संयोजक,

(ii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत उपसमाहर्ता–स्तर का एक पदाधिकारी–सदस्य,

(iii) जिला शिक्षा अधीक्षक – सदस्य सचिव।

(2) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के द्वारा स्थापित, धारित या नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर, प्रत्येक विद्यालय के द्वारा, जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व से स्थापित हैं, उन्हें इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के अंदर प्रपत्र–1 में संबंधित समिति के सदस्य सचिव के समक्ष अधिनियम के परिशिष्ट में अंकित मानक एवं मानदंडों के अनुपालन के संबंध में एवं निम्नांकित शर्त्तों के संबंध में स्वघोषणा के माध्यम से जानकारी दी जाएगी :

(क) यह कि विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के द्वारा गठित सोसाइटी या किसी संस्था/सार्वजनिक न्यास, जो उक्त अवधि में लागू किसी कानून के तहत गठित किया गया हो, उसके द्वारा संचालित होता है।

(ख) यह कि विद्यालय किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति समूह या उन्हीं व्यक्तियों के संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा लाभ के लिए संचालित नहीं किया गया है।

(ग) यह कि विद्यालय संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप कार्य करता है।

(घ) यह कि विद्यालय के भवन अथवा अन्य संरचनाओं या मैदान का उपयोग शिक्षा के लिए और दक्षता विकास के लिए ही होता है।

(च) यह कि विद्यालय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु खुला है।

(छ) यह कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा अथवा जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा समय–समय पर माँगी गई सूचनाओं एवं प्रतिवेदनों को विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा मान्यता की शर्त्तों को लगातार पूरा करने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए अथवा विद्यालयी क्रियाकलाप की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो निदेश जारी किए जाएँगे, उनका अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(3) जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्रपत्र–1 में प्राप्त प्रत्येक स्वघोषणा पत्र को प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक किया जाएगा।

(4) स्वघोषणा प्राप्त होने के तीन महीने के अन्दर समिति अथवा समिति के सदस्य वैसे सभी विद्यालयों का स्थल–विशेष पर जाकर निरीक्षण करेंगे, जिन्होंने प्रपत्र–1 में निहित मानकों एवं मानदंडों तथा शर्त्तों, जो उपनियम 2 में उल्लिखित हैं, को पूरा करने से संबंधित दावा किया है।

(5) उपनियम (4) के अनुसार निरीक्षण करने के पश्चात् समिति के सदस्य सचिव के द्वारा निरीक्षण–प्रतिवेदन जनसाधारण की जानकारी हेतु रखा जाएगा और जो विद्यालय मानकों, मानदंडों एवं शर्त्तों के अनुरूप पाये जायेंगे, उन्हें समिति के द्वारा 15 दिनों के अंदर

प्रपत्र–2 में प्रस्वीकृति दी जाएगी।

(6) जो विद्यालय उपनियम (2) के मानकों, मानदंडों एवं शर्त्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं, उनकी सूची समिति के सदस्य सचिव के द्वारा तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी। संबंधित विद्यालय जिनकी प्रस्वीकृति नहीं प्रदान की गई है, आगामी ढाई वर्षों के अन्दर मानकों, मापदंडों एवं शर्त्तों को पूरा करते हुए विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु पुनः समिति के समक्ष अनुरोध कर सकेंगे।

(7) जो विद्यालय उपनियम 2 में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्त्तों को इस अधिनियम के लागू होने के तीन साल बीतने तक भी पूरा नहीं करते, वे कार्य करना बंद कर देंगे।

(8) इस अधिनियम के लागू होने के बाद हर विद्यालय, जो अधिनियम लागू होने के पूर्व से स्थापित हैं तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित या धारित नहीं है, को उपनियम 2 में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्त्तों को पूरा करना होगा, जिससे कि वे प्रस्वीकृति प्राप्त करने के हकदार हो सकें।

अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) एवं धारा 19 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ विद्यालयों की प्रस्वीकृति का प्रत्याहरण

12.. (1) जहाँ समिति के सदस्य/सदस्यों को स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर विश्वास करने का कारण बनता है, जिसका लिखित अभिलेख प्राप्त हो, कि नियम 11 के अंतर्गत प्रस्वीकृत विद्यालय ने प्रस्वीकृति की एक अथवा एकाधिक शर्त्तों का उल्लंघन किया है या अधिनियम की अनुसूची (Shedule) में उल्लिखित मानकों को पूरा करने में असफल रहा है, वहाँ समिति निम्न रूपेण कार्य करेंगी :

(क) मंजूरी की शर्त्तों के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए एक नोटिस जारी करेगी और एक महीना के अन्दर स्पष्टीकरण मांगेगी।

(ख) स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने या स्पष्टीकरण नियत अवधि के अंदर नहीं प्राप्त होने की स्थिति में समिति के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा तथा निरीक्षण के उपरान्त समिति इस आशय का निर्णय लेगी कि विद्यालय की प्रस्वीकृति कायम रखी जाए या इसे प्रत्याहरित कर लिया जाए।

(ग) प्रस्वीकृति के प्रत्याहरण संबंधी कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि विद्यालय को सुनवाई का अवसर न प्रदान किया गया हो।

प्रस्वीकृति–प्रत्याहरण संबंधी आदेश पारित करने के पूर्व मानव संसाधन विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

मानव संसाधन विकास विभाग के अनुमोदनोपरान्त जिला शिक्षा अधीक्षक विद्यालय की प्रस्वीकृति प्रत्याहरण संबंधी आदेश पारित करेंगे जिसमें प्रत्याहरण संबंधी कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

.(घ) नियम 12 के उपनियम 1 की कंडिका ग के आलोक में निर्गत आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार में किसी प्रकार का अपील स्वीकार्य नहीं होगा।

(2) जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रस्वीकृति–प्रत्याहरण का आदेश आगामी शैक्षिक वर्ष से तुरंत प्रभावी होगा तथा आदेश में पड़ोस के विद्यालय का उल्लेख होगा जिसमें प्रस्वीकृति वापस किए गए विद्यालय के छात्र नामांकित होंगे।

भाग–V

विद्यालय शिक्षा समिति

अधिनियम की धारा 21 के प्रयोजनार्थ विद्यालय शिक्षा समिति का गठन एवं कार्य

13. (1) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं धारित प्रत्येक विद्यालय के लिए एक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसके 75 प्रतिशत सदस्य माता–पिता/अभिभावक के द्वारा चुने जाएँगे।
कमजोर वर्ग एवं वंचित वर्ग को समिति में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, समिति के कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी।

(2) विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों के माता–पिता/अभिभावक सदस्य के चुनाव में भाग ले सकेंगे।

(3) समिति के गठन, कार्यकाल, कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण इस विषयक अधिसूचित अधिनियम एवं नियमावली के आलोक में किया जाएगा।

भाग– VI

शिक्षक

अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ शिक्षक की न्यूनतम योग्यता

14. (1) केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत शैक्षिक प्राधिकार के द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों में नियुक्त होनवाले शिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाएगी।

(2) उप नियम (1) में वर्णित शैक्षिक प्राधिकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) के प्रत्येक विद्यालय पर लागू होगी।

अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ न्यूनतम योग्यता में छूट

15. (1) राज्य सरकार अधिनियम के लागू होने के छः माह के अन्दर अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) में वर्णित सभी विद्यालयों के लिए निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करेगी।

(2) यदि उपनियम (1) के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन के अनुसार राज्य के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाएँ नहीं हो या नियम 14 के उपनियम (2) के अनुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों, तो अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर राज्य सरकार निर्धारित

न्यूनतम योग्यता में छूट हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी।

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाले अनुरोध की केन्द्र सरकार समीक्षा करेगी और अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम योग्यता में छूट दे सकेगी।

(4) उप नियम (3) में वर्णित अधिसूचना में छूट की प्रकृति एवं समय–सीमा का उल्लेख होगा जो अधिनियम के लागू होने के पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा, जिसके अन्दर नियुक्त शिक्षकों को अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना होगा।

(5) अधिनियम लागू होने के छः माह के बाद किसी भी विद्यालय में ऐसे शिक्षक नियुक्त नहीं किये जा सकते जो अधिनियम की धारा 23 की उप धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हों।

अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के परन्तुक के अन्तर्गत न्यूनतम योग्यता हासिल करना

16. (1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (Clause) (n) की उप कंडिका (i) एवं (iii) में वर्णित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी जो नियम 15 के उपनियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता अधिनियम को लागू होने के समय नहीं रखतें हों ताकि अधिनियम के लागू होने के पाँच वर्षों के अन्दर वे निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें।

(2) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (ii) एवं (iv) में वर्णित विद्यालयों के शिक्षक, जो अधिनियम के लागू होने के समय नियम 15 के उप नियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हों, ऐसे विद्यालय का प्रबंधन ऐसे शिक्षक को अधिनियम के लागू होने के 5 वर्षों के अन्दर न्यूनतम योग्यता हासिल करने हेतु व्यवस्था करेगा।

अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ शिक्षकों के वेतन, भत्ता एवं सेवा–शर्त्त

17. (1) राज्य सरकार शिक्षकों के एक पेशेवर एवं स्थायी संवर्ग निर्माण हेतु वेतन, भत्ता एवं सेवा शर्तों को अधिसूचित करेगी।

(2) उप नियम (1) के लिए बिना पूर्वाग्रह एवं विशेष रूप से सेवा शर्त्तों के निर्धारण मे निन्न विन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः–

(क) अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत गठित विद्यालय शिक्षा समिति के प्रति शिक्षकों की जवाबदेही।

(ख) शिक्षकों को लम्बे समय तक शिक्षण पेशा में बने रहने के लिए अनुकूल परिवेश निर्माण का

प्रावधान।

अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) की कंडिका (F) के प्रयोजनार्थ शिक्षकों के द्वारा निष्पादित किए जानेवाले कार्य एवं दायित्व

18. (1) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) में निर्धारित दायित्वों के निष्पादन तथा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) की कंडिका (h) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षक प्रत्येक बच्चे का छात्र संचयी अभिलेख का संधारण करेगा, जो अधिनियम धारा 30 की उपधारा (2) में निर्धारित प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रदान करने का आधार होगा।

(2) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) की कंडिका (a) से (e) में निर्धारित दायित्वों के अलावे शिक्षक के द्वारा नियमित शिक्षण–कार्य को बिना बाधित किये निम्नांकित कार्य सम्पादित किए जाएँगेः–

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना;

(ख) पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यक्रम का विकास, प्रशिक्षण मॉडयूल एवं पाठयपुस्तक का विकास;

अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ शिक्षकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया

19. (1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित विद्यालय शिक्षा समिति शिक्षकों के लिए प्रथम स्तर का शिकायत निवारण स्तर होगा।

(2) राज्य सरकार, जिला स्तर पर एक प्राधिकार गठित करेगी जो शिक्षको के ''शिकायत निवारण प्रक्रिया'' के रूप में कार्य करेगा।

अधिनियम की धारा 25 के प्रयोजनार्थ प्रत्येक विद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात को बरकरार रखना

20. (1) राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार, जो लागू हो, के द्वारा विद्यालय के लिए स्वीकृत शिक्षक इकाई को अधिनियम के लागू होने की तिथि के तीन माह के अन्दर अधिसूचित किया जायेगा।

''वशर्ते कि राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार उपनियम (1) में वर्णित अधिसूचना के पूर्व स्वीकृत इकाई से अतिरिक्त शिक्षको की पुनः तैनाती कर लें।

(2) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार का कोई व्यक्ति यदि अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्गित तौर पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होगा।

भाग– VII

प्रारम्भिक शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं पूर्णता

अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत शैक्षिक प्राधिकार का कार्य

21 शैक्षिक प्राधिकार के निम्न कार्य होंगे :

(1) उम्र–सापेक्ष, अनुकूल आयुवर्ग के अनुसार प्रासंगिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य अधिगम सामग्री को तैयार करना।

(2) सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की रूप–रेखा का विकास करना,

(3) बच्चों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शिका तैयार करना ।

(4) विद्यालय की समग्र गुणवत्ता के मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण तथा इसका नियमित क्रियान्वयन करना ।

अधिनियम की धारा 30 के प्रयोजनार्थ प्रमाण–पत्र देना

22 (1) बच्चों के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के एक माह के अन्दर उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता का प्रमाण पत्र विद्यालय के द्वारा निर्गत कर दिया जाएगा ।

(2) उप नियम (1) में संदर्भित प्रमाण–पत्र में निम्न बातों का भी उल्लेख होंगा :

(क) प्रमाणित किया जाता है कि छात्र ने अधिनियम की धारा 29 में सन्निहित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर लिया है ।

(ख) इसमें छात्र का संचयी अभिलेख के साथ छात्र के पाठ्यक्रम से बाहर के कियाकलापों, जिसमें संगीत, नृत्य, खेल–कूद आदि सम्मिलित हो सकता है का भी उल्लेख होना चाहिए।

भाग VIII

बच्चों के अधिकार का संरक्षण

अधिनियम की कंडिका 31 के प्रयोजनार्थ राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन एवं दायित्वों का निर्वहन

23 (1) राज्य सरकार के द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की कार्रवाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार के द्वारा आयोग गठित किये जाने की अवधि तक के लिए अगले 6 माह के अन्दर अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए एक अन्तरिम प्राधिकार, शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों में जो पहले हो, का गठन किया जायेगा।

(3) शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार का गठन निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जायेगा–

(क) एक अध्यक्ष जो शैक्षिक रूप से उच्च योग्यता एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हो अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने से संबंधित अप्रतिम कार्य किया हो।

(ख) दो सदस्य, जिसमें एक महिला होगी, जिनका चयन निम्न क्षेत्रों के ख्यातिप्राप्त, उच्च योग्यताप्राप्त, निष्ठावान, स्थापित एवं अनुभवप्राप्त व्यक्तियों में से किया जायेगा–

i. शिक्षाः
ii. बाल–स्वास्थ्य देख–भाल एवं बाल–विकासः
iii. बाल–अपराध न्याय अथवा वंचित एवं अभिवंचित बच्चों अथवा निःशक्त बच्चों की देख–भालः
iv. बालश्रम उन्मूलन अथवा संकटग्रस्त बच्चों के लिए कार्य करनेः
v. बाल मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र अथवा
vi. न्यायिक पेशा

(4) शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली 2006 के नियम एवं शर्त्तें यथा संभव लागू रहेंगी।

(5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के साथ ही शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार के सभी अभिलेख एवं परिसंत्तियाँ आयोग को हस्तांतरित हो जायेंगी।

(6) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार अपने कार्यों के निर्वहन में वैसे मामलों पर भी कार्य करेगी जो उसे राज्य सलाहकार परिषद् के द्वारा भेजे जायेंगे।

(7) राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार दोनों में से जो लागू हो, के मामले में एक कोषांग गठित करने की कार्रवाई करेगी, जो आयोग अथवा प्राधिकार को उनके कार्यों के निर्वहन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

बच्चों की अधिकार संरक्षण संबंधी शिकायत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष दर्ज करने का तरीका

24 (1) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण प्राधिकार जिस प्रकार की स्थिति हो, के द्वारा एक बाल सहायता प्रणाली (Child Help Line) स्थापित की जाएगी, जो लधु संवाद सेवा (SMS), दूरभाष एवं पत्र के पहुँच के दायरे में होगी और जो अधिनियम अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार के हनन से प्रताड़ित बच्चों /अभिभावकों के शिकायत को दर्ज करने के फोरम के रूप में इस प्रकार कार्य करेगी, जिसमें उसकी पहचान दर्ज होगी लेकिन उसे दूसरों को नहीं बताया जाएगा।

(2) हेल्प लाइन में दर्ज सभी शिकायतें, पारदर्शी रूप से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकार के द्वारा ऑनलाइन (On Line) की सजग एवं क्रियाशील प्रणाली के माध्यम से, अनुश्रवण की जायेंगी।

अधिनियम की धारा 34 के प्रयोजनार्थ राज्य सलाहकार परिषद् का गठन एवं कार्य

25 (1) राज्य सलाहकार परिषद् में एक सभापति एवं 14 सदस्य होंगे।

(2) मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री इस परिषद् के पदेन सभापति होंगे।

(3) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा एवं बाल विकास के क्षेत्र का ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों के बीच से की जायगी यथाः

(क) कम–से–कम चार सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

(ख) कम–से–कम एक सदस्य, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों में से लिये जाएँगे।

(ग) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों में से लिए जाएँगे।

(घ) कम–से–कम दो सदस्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों में से होंगे।

(च) उपर्युक्त सदस्यों में से 50 प्रतिशत सदस्य महिला होंगी।

(4) मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा परिषद् की बैठकों तथा इसके अन्य कार्यों के हेतु आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) परिषद् के कार्य के विनियमन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी :

(I) सभापति द्वारा निर्धारित तिथियों को, परिषद् की बैठकें नियमित रूप से होंगी, लेकिन दो बैठकों के बीच का अन्तराल तीन माह से अधिक का नहीं होगा।

(II) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता सभापति के द्वारा की जाएगी। किसी कारणवश सभापति द्वारा बैठक में भाग नहीं लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा परिषद् के किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता हेतु नामित किया जा सकेगा। परिषद् की बैठक की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(6) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति की अवधि एवं शर्तें इस प्रकार होंगी :

(क) प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि से दो वर्षों की होगी,
परन्तु किसी भी सदस्य का कार्य प्रभार दो बार से अधिक मान्य नहीं होगा।

(ख) राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्य को अपने कार्य से राज्य सरकार के द्वारा एक आदेश के माध्यम से दुर्व्यवहार, अक्षमता अथवा निम्न में से किसी एक या अधिक घटना के आलोक में हटाया जा सकेगाः

- i. यदि दिवालिया घोषित हो; अथवा
- ii. कार्य करने से इनकार कर दे या कार्य करने में अक्षम हो जाए; अथवा
- iii. यदि मानसिक रूप से असंतुलित हो और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो; अथवा
- iv. कार्य के दौरान अपने पद के दुरुपयोग का दोषी पाया जाय जिससे कि उसका कार्य पर बना रहना लोकहित में घातक हो; अथवा
- v. किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो; अथवा
- vi. बिना अवकाश लिए परिषद् की दो लगातार बैठकों में बिना सूचना अनुपस्थित रहा हो।

(ग) किसी भी सदस्य को अपने पद से तबतक नहीं हटाया जा सकेगा जबतक कि उसे सुनने का पर्याप्त अवसर न प्रदान किया गया हो।

(घ) यदि किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य कारणों से सदस्यों का पद रिक्त होता है तो उक्त रिक्ति को उपनियम 3 के प्रावधानों के अनुरूप 120 दिनों के अन्दर नई नियुक्ति से भरा जायेगा।

(च) परिषद् के सदस्य कार्यालयीय दौरा, भ्रमण और यात्राओं के एवज में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा–भत्ता एवं दैनिक–भत्ता के हकदार होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

26 इस नियमावली के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति मानव संसाधन विकास विभाग की होगी।

निरसन एवं व्यावृत्ति

27 राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश/परिपत्र आदि, जो किसी अधिनियम अथवा नियमावली के अधीन निर्गत नहीं हैं, और इस नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं, वे इस नियमावली की अधिसूचित होने की तिथि से निरस्त माने जाएँगे।

अनुलग्नक

प्रपत्र 1

विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु स्वघोषणा–सह–आवेदन पत्र

(बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के नियम 11 के उपनियम (1) को देखें)

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–सचिव,
प्रस्वीकृति समिति
जिला ....

महाशय,

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की अनुसूची में वर्णित मानक एवं मापदण्ड के आलोक में मैं एक स्वघोषणा करता/करती हूँ एवं विहित प्रपत्र में (विद्यालय का नाम एवं पता)................ की प्रस्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित कर रहा/रही हूँ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकों का व्योरा :

स्थान :

दिनांक :

प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/व्यवस्थापक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्वघोषणा–प्रपत्र

क. विद्यालय–विवरण		
1.	विद्यालय का नाम	
2.	शैक्षणिक सत्र	
3.	जिला	
4.	पत्राचार का पता	
5.	गाँव/नगर	
6.	प्रखण्ड	
7.	पिन कोड	
8.	दूरभाष सं० एस.टी.डी. कोड के साथ	
9.	फैक्स नं०	
10.	ई–मेल पता (यदि कोई हो)	
11.	नजदीकी पुलिस स्टेशन	

ख. सामान्य सूचनाएँ				
1.	स्थापना का वर्ष			
2.	पहली बार विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि			
3.	ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति का नाम			
4.	क्या ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति निबंधित है?			
5.	ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति के निबंधन की वैधता अवधि			
6.	क्या ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति के गैरमालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की संपुष्टि हेतु सदस्यों की सूची पता के साथ शपथ–पत्र के रूप में संलग्न है ?			
7.	विद्यालय के चेयरमैन/प्रेसीडेंट/मैनेजर के कार्यालय का पता			
	नाम			
	पदनाम			
	पता			
	दूरभाष			कार्यालय : आवास :
8.	अंतिम तीन वर्षों के कुल आय एवं व्यय (बचत/घाटा)			
	वर्ष	**आय**	**व्यय**	**बचत/घाटा**

:D/proceeding

ग. विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र		
1.	शिक्षण का माध्यम	
2.	विद्यालय का प्रकार (प्रवेश एवं निकास की कक्षाएँ अंकित करें)	
3.	यदि सहायता प्राप्त है, तो सहायता प्रदत करने वाली एजेंसी का नाम एवं सहायता का प्रतिशत	
4.	विद्यालय मान्यता प्राप्त है,	
5.	यदि हाँ, तो किस प्राधिकार द्वारा • निबंधन संख्या	
6.	क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है ?	
7.	क्या विद्यालय का भवन/अन्य आधारभूत संरचनाएँ/मैदान केवल शिक्षा और कौशल के विकास के लिए व्यवहृत की जाती हैं?	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या–क्या सुविधाएँ/संरचनाएँ है?	

घ. नामांकन स्थिति			
	वर्ग	**सेक्सन की संख्या**	**विद्यार्थियों की संख्या**
1.	पूर्व प्राथमिक		
2.	1–5		
3.	6–8		

च. आधारभूत संरचना का ब्योरा एवं स्वच्छता की स्थिति			
	कक्ष	संख्या	औसत आकार
1.	**वर्गकक्ष**		
2.	**कार्यालय कक्ष–सह–भंडार कक्ष –सह–प्रधानाध्यापक कक्ष**		
3.	**रसोईघर–सह–भंडार**		

छ. अन्य सुविधाएँ		
1.	क्या सभी सुविधायें अवरोधरहित पहुँच के अन्तर्गत हैं	
2.	शिक्षण अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	खेल–कूद सामग्री (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा • पुस्तकों की संख्या • पत्रिकाएँ/समाचार पत्र	
5.	पेयजल सुविधा के प्रकार एवं संख्या	

6.	स्वच्छता की स्थिति	
	1. डब्लू.सी. और मूत्रालय का प्रकार	
	2. बालको के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	
	3. बालिकाओं के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	

ज. शिक्षकों का ब्योरा			
1. केवल प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों का ब्योरा (प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग–अलग)			
	शिक्षक का नाम (1)	**पिता/पति/पत्नी का नाम (2)**	**जन्म–तिथि (3)**
	शैक्षिक योग्यता (4)	**व्यावसायिक योग्यता (5)**	**शैक्षणिक अनुभव (6)**
	किस वर्ग के शिक्षक हैं (7)	**नियुक्ति की तिथि (8)**	**प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)**
2. प्रधान शिक्षक			
	शिक्षक का नाम (1)	**पिता/पति/पत्नी का नाम (2)**	**जन्म तिथि (3)**
	शैक्षिक योग्यता (4)	**व्यावसायिक योग्यता (5)**	**शैक्षणिक अनुभव (6)**
	किस वर्ग के शिक्षक हैं (7)	**नियुक्ति की तिथि (8)**	**प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)**

1 एवं 2 के मामले में यथा उपयुक्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

झ. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या		
1.	पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का विवरण, जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है (वर्ग 8 तक)	
2.	छात्रों के आकलन की पद्धति	
3.	क्या विद्यालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है ?	

ट. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डायस) में भी समर्पित किया गया है।

ठ. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है।

ड. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय, शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर माँगे जाने वाले प्रतिवेदन एवं सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा एवं उचित प्राधिकार द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा, उसका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप में विद्यमान कमियों को दूर करने हेतु निरंतर

प्रयास करेगा ।

ढ. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अभिलेख वैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हों, को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा, जिससे केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय या प्रशासन को संसद/राज्य के विधान सभा/पंचायत/नगर निगम (जो भी लागू हो) के प्रति जवाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा।

ह०/–
प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/
व्यवस्थापक

स्थान :

प्रपत्र II

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय

पत्रांक **दिनांक**

सेवामें,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक .... और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय............................ (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता). .... कक्षा से .... कक्षा .... तक संचालन हेतु तीन वर्षों .... से .... अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तों के अनुपालन के अधीन होगीः

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में ....विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा

अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगेः

i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नही रखा जाएगा और न हीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नही धारित करते है, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii. शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् :–

विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल ;

कुल निर्मित क्षेत्र ;

खेल के मैदान का क्षेत्र ;

वर्गकक्षों की कुल संख्या ;

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष ;

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय ;

पेयजल की सुविधा ;

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर ;

बाधारहित पहुँच ;

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय ;

11.कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12.विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13.विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पबलिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14.विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15.लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16.आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या............... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17.निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय–समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्त्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18.यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19.अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्त्तें।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–सचिव